न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— कैलाश चन्द गुर्जर , उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

प्रकरण संख्या— 25 / 2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0रा0अ0

श्रीमति मंजू बाई पत्नी देवप्रकाश धाकड़, जाति धाकड़, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ग्राम धारड़ी तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

................प्रार्थीया

विरूद्व

श्री राजस्थान राज्य भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा जिला चितौडगढ़।

............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से :— **श्री पी.के. बिल्लू।**

दिनांकः— 28 / 03 / 2022

—:आदेशः—

प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया गया हैं कि मौजा ग्राम धारड़ी तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 80 आराजी न. 90 रकबा 3.2400 है0 लगानी 3.21 पैसे प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं जिसकी पत्थरगढी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र द्वारा निवेदन किया कि आराजी संख्या 90 के पड़ौसी खातेदार कृषि आराजीयात पर आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थीया ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थीया की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थीया की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में दिनांक 23.03.2022 को जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा ग्राम धारड़ी तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसकी खतोनी संख्या 80 आराजी न. 90 रकबा 3.2400 है0 लगानी 3.21 पैसे प्रार्थीया के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगड़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000 / —रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.03.2022 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ